ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-5* June-2017
Innovation The Research Concept

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद : पृथक राज्यों की माँग के रूप में

बी०एल० मैनावत
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
उनियारा, टोंक, राजस्थान

सारांश

भातीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद का बढ़ता प्रकोप देश की एकता, अखण्डता के लिए खतरा बनता जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद से ही पृथक राज्य बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आन्दोलन चलते रहे है। कभी–कभी हिंसक रूप धारण करते हुए विकराल बन जाते है। इसी कारण देश के राज्यों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। नये राज्य की माँग किसी न किसी प्रकार का असंतोष व्यक्त करता है। चाहे विकास को लेकर या क्षेत्रीय भेदभाव, रोजगार, भूमिपुत्र, धार्मिकता व भाषावाद आदि इसके मूल कारण रहे होते है। यदि संतुलित विकास, रोजगार, आर्थिक संसाधन का समुचित प्रबन्धन किया जाये एवं उचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखे व समय–समय पर इस क्षेत्र में समीक्षा होती रहे तो सम्भवतः क्षेत्रीयता की समस्या से कम जूझना पड़ेगा।

मुख्य शब्द : क्षेत्रीयतावाद, भारतीय संविधान, नागरिकता, भारतीय राजनीति।

प्रस्तावना

भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में एक गम्भीर चुनौती बन गई है। क्षेत्रीयतावाद की प्रवृति को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। फिर भी भारतीय लोगों के मस्तिष्क में बंगाली, मराठी, बिहारी, गुजराती, पंजाबी एवं मद्रासी आदि की चेतना अधिक परिलक्षित होती है। यह क्षेत्रीय संकीर्णता हमारी राष्ट्रीयता को विषाक्त एवं विभक्त करने की कुचाल बन रही है।

इस उभरते हुए क्षेत्रवाद की नवीन चुनौती को भलि–भाँति समझने के लिए क्षेत्रीय दलों एवं उनकी राजनीति की वास्तविकता का अध्ययन आवश्यक है। दक्षिण, दक्षिण–पूर्व, उत्तर–पूर्व, उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिम क्षेत्र का प्रत्येक राज्य किसी न किसी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा विवाद अथवा जल बँटवारे या पृथक राज्य की माँग में उलझा हुआ है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्रीय दल अपने राज्य की सीमाओं तक ही सीमित है। जो स्थानीय जातीय अथवा वर्ग विशेष के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य किसी क्षेत्र के लोगों की उस भावना एवं प्रयत्नों से है जिनके द्वारा वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि चाहते है। इस प्रकार क्षेत्रीयता, राष्ट्रीयता की भावना का विलोमार्थी है, जिसका एक मात्र उद्देश्य संकीर्ण क्षेत्रीय स्वाार्थो की पूर्ति करना है।

भारतीय राजनीति में यह एक ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आर्थिक विकास पर आधारित है और जो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में क्षत–विक्षत करते हुए विखण्डन और पृथकतावादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता के समक्ष एक चुनौती के रूप में उपस्थित है।

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति के अनेक रूप हैं जिसमें भारतीय संघ से पृथक होने की माँग, पृथक राज्य की माँग, क्षेत्रीय भाषायी विवाद, अन्तर्राज्जीय नदी विवाद, क्षेत्रीय आर्थिक टकराव, राजनैतिक नेतृत्व और क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व तथा भूमिपूत्र की पहचान आदि प्रमुख है। क्षेत्रीयतावाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष पृथक राज्य की मांग है। जो भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है। पृथक राज्य की माँग आर्थिक विकास, जाति भाषा एवं धर्म आदि के आधार पर उठाई जाती रही है। विभिन्न समयों पर अनेक नये राज्यों का निर्माण करना पड़ा है। यथा 1960 में महाराष्ट्र व गुजरात, 1966 में पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ, 1970 में हिमाचल प्रदेश, 1968 में असम का पुनर्गठन कर मेघालय, 1972 में त्रिपुरा मणिपुर, 1975 में सिक्किम, 1986 में मिजोरम, 1987 में अरूणाचलप प्रदेश एवं गोवा तथा 2000 में उत्तराखण्ड, झारखण्ड एवं छत्तीसगढ, 2014 में तेलंगाना को नया राज्य बनाना पड़ा था।

वर्तमान में बोडोलैण्ड, गौरखालैण्ड, लद्दाख, विदर्भ,सौराष्ट्र, बुन्देलखण्ड

आदि अपने पृथक राज्य की माँग कर रहे है।

21 नवम्बर 2011 को मायावती सरकार ने उत्तरप्रदेश को चार भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित करके आश्चर्य चकित कर दिया। चार प्रदेशों के नाम पश्चिमी उत्तरप्रदेश, अवधप्रदेश, पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड के रूप में प्रस्तावित किये।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 डिवीजन (मण्डल) यथा– मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़ कुल 26 जिलों को रखा गया।

अवध प्रदेश के अन्तर्गत चार डिवीजन यथा –लखनऊ, फैजावाद, देवीपाटन तथा कानपुर के कुल 21 जिले रखे गये।

पूर्वांचल प्रदेश में 6 डिवीजन यथा – वाराणसी, इलाहावाद, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर बस्ती के कुल 21 जिले रखे गये।

बुन्देलखण्ड में 2 डिवीजन यथा – झांसी, ललितपुर जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर कुल 7 जिले सम्मिलित किये गये।

विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार की सहमति के लिए भेज दिया गया किन्तु केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय ने निम्न कारणों सहित दिसम्बर 2011 को प्रस्ताव को वापस भेज दिया गया।

1. प्रस्तावित राज्यों की राजधानियाँ कहाँ होगी।
2. राज्यों की सीमायें क्या होंगी।
3. उत्तरप्रदेश पर मौजूदा ऋण का बँटवारा कैसे होगा।
4. राज्य में तैनात अखिल भारतीय सेवाओं का बँटवारा कैसे रहेगा।
5. पेंशन का बोझ राज्यों पर कैसे बाँटा जाये।
6. चारों राज्यों के बीच राजस्व का साझा किस तरह होगा।
7. प्रशासनिक इकाईयों का बँटवारा कैसे होगा।

यद्यपि फिलहाल प्रस्ताव टल गया है क्योंकि उत्तरप्रदेश में सत्ता भी परिवर्तित हो गई हैं किन्तु भविष्य में चार पृथक राज्यों का निर्माण का मुद्दा फिर उभर सकता है।

बोडो आन्दोलन

असम में ऑल बोडो स्टूडेन्ट (ABSU) द्वारा बोलोलैण्ड नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना को लेकर चलाया गया है। आन्दोलन सामाजिक – आर्थिक क्षेत्रवाद का एक और उदाहरण है। 2 मार्च 1987 से औपचारिक रूप से प्रारम्भ बोडो आन्दोलन के मूल में यह अहसास रहा है कि पहाडी और मैदानी जन–जातियाँ संरचनात्मक दृष्टि से सबसे बड़ी होने के बाबजूद यह गरीबी और उपेक्षा का शिकार रही है। बोडो लोगों में यह अहसास तब और भी गहरा हो जाता है जब वे देखते है कि मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड में पर्वत जन जातियों ने अत्यधिक उन्नति की है। असम के ही करीबी, एलांग और उत्तरी कछार पर्वत श्रेणियों में आदिवासी स्वायत्त शासी जिला परिषदों के कारण स्वायत्तता प्राप्त कर चुके है, परन्तु इस प्रक्रिया में बोडो जैसे आदिवासी समूहों को कोई सहभागिता प्राप्त नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि बोडो एक जाति न होकर एक जनजातीय परिवार है जिसके अन्तर्गत कोल, कछारी, मेच, लाल्लुंग, डिमसो, गारो, घाटियाँ आदि जनजातियाँ है। ऑल बोडों स्टूडेन्ट यूनियन के अनुमान के अनुसार असम में कुल मिलकार 65 लाख जनजातिय आबादी है जिसमें से 40 लाख बोडों हैं। इस प्रकार संख्या की दृष्टि से असम में बोडो सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। बोडों आदिवासी 90 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है। विकास के प्रयास पर्वतीय जनतियों के लिए हुए है, मैदानी भागों के आदिवासियों के लिए नहीं। आर्थिक पिछड़ापन अलगाव की भावना पैदा कर रहा है और पृथक बोडोंलैण्ड की माँग हो रही है। आज यह आन्दोलन तीन भागों में केन्द्रीत हो गया है –

1. ब्रह्मपुत्र के ऊपरी तट पर बोडो समुदाय के लिए एक पृथक होमलैण्ड की स्थापना करता है।
2. ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर मैदानी जन–जातियों के लिए जिला परिषद की स्थापना हो।
3. कर्बी एलांग की बोडों कछारी जनजाति को संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित किया गए।

आन्दोलन समय–समय पर हिंसक रूप धारण कर लेता है। जुलाई – अगस्त 2012 में बोडोंलैण्ड में हिंसक वातावरण हो गया और गैर बोडों वासियों की हत्या करना शुरू कर दिया। असम के कोकराझार और विरांग जिलों में जारी हिंसा आग की तरह फैल गई एवं इसने 11 जिलों के करीब 500 गावों को अपनी चपेट में ले लिया। चार बोडो लिवरेसन टाइगर्स संगठन के नेताओं की हत्या के बाद हिंसा भड़की। हत्याओं के लिए अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के संगठन को दोषी ठहराया गया था।

हिंसा का एक कारण बंगलादेशी अप्रवासियों की बढ़ती संख्या को माना जा रहा है। यहाँ 27 जिलों में से 8 जिलों में बंगलादेशी मुसलमान एवं बहुसंख्यक बन चुके है। इस अवैध घुसपैठ से असम का आर्थिक व सामाजिक व राजनीतिक ढांचा प्रभावित हो रहा है। ये भारत में राशनकार्ड तथा बोट का इस्तेमाल कर रहे है। बोडों अपने पिछडेपन का कारण इन्हीं को मानते है। फरवरी 2003 में बोडों क्षेत्रीय परिषद का गठन संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत किया गया है। यह बोडोलैण्ड पृथक राज्य की माँग करते है जबकि गैर बोडो इसका विरोध करते है। इस कारण इनके मध्य तनाव बना रहा है। 2002 में आग लांग जिले में 2008 में उठाल गुडी व दरांग जिलों में 2009 में उत्तरी कछार जिले में हिंसा हुई थी।

गोरखालैण्ड आन्दोलन

पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के चार सब डिविजनों सिलीगुडी, कार्सियांग, कलिम्पोंग को मिलाकर स्वतंत्रता से पूर्व स्वतंत्रता के बाद से ही पृथक प्रशासनिक इकाई की माँग होती रही है। अंग्रेजी शासन काल के समय भारत के अधीन जुडा था। सुभाष घीसिंग ने गोरखा राष्ट्रीय मुक्ती मोर्चा चलाया है, वे पृथक गोरखा राज्य की माँग करते है। पहले भारत से पृथक राज्य की बात की और बाद में भारत के अन्तर्गत पृथक राज्य की माँग की थी। अलगाववाद की भावना से प्रेरित सुभाष घीसिंग ने नेपाल के राजा को ज्ञापन भेजा था। उसकी प्रतियाँ संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, कनाडा तथा यूरोपीय देशों को भेजी। 1988 में गोरखा संगठन से समझौता हो गया किन्तु फिर भी अब तक वे अपनी स्वायत्ता की माँग करते

रहे है। जुलाई 2011 में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, बंगाल सरकार तथा केन्द्र सरकार के मध्य समझौता हुआ और गोरखालैण्ड के लिए ''गौरखालैण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन'' (GTA) स्थापित करने का समझौता हुआ। इसके अनुसार जी.टी.ए. इस क्षेत्र में बी, सी, डी, ग्रेड की नियुक्ति कर सकेगी। शिक्षकों में स्कूल सर्विस कमीशन, कॉलेज सर्विस कमीशन के रूप में कार्य कर सकेगी। क्षेत्रीय विकास के लिए वित्तीय पैकेज केन्द्र सरकार देगी।

खालिस्तान की माँग

स्वतंत्रता के बाद से ही पृथक पंजाब राज्य की माँग शुरू हो गई। संत फतेहसिंह एवं मास्टर तारासिंह ने अनशन भी किया। 1966 में अलग पंजाब राज्य स्थापित करना पडा। 1973 में आनन्दपुर प्रस्ताव पास किया गया जिसमें पंजाब को अधिक स्वायत्त राज्य बनाने की माँग की गई। सिक्ख समुदाय खालिस्तान स्थापित करना चाहता है। 1980 के बाद खालिस्तान की माँग ने उग्र व हिंसक रूप धारण कर लिया जो 1984 तक चला। पंजाब में सिक्ख बाहुल्य सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करना चाहते है। इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद जुलाई 1985 में राजीव गाँधी एवं संत हरचन्द सिंह लोगोवाल के मध्य पंजाब समझौता हुआ। उसके बाद भी उग्रता सिक्ख समुदाय में बनी हुई है। खालिस्तान की माँग कभी भी जोर पकड़ सकती है।

आजाद कश्मीर आन्दोलन

स्वतंत्रता के समय राजा हरिसिंह की प्रार्थना पर कश्मीर राज्य को भारत में मिला लिया गया किन्तु जम्मू कश्मीर के एक बड़े भाग पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया जो आज तक पाकिस्तान के अधीन है। पाक समर्पित आतंकवादी संगठन तथा कश्मीरी मुस्लिम समुदाय के लोग आजाद कश्मीर की माँग करते रहे है तथा निरन्तर हिंसा का वातावरण बनाये रखा है। कश्मीर मुद्दे को लेकर पाक से 1947–48, 1966, 1971, 1998 में युद्ध हो चुका है। कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के बाबजूद वहाँ के लोगों का आजाद कश्मीर स्थापित करने के लिए आन्दोलन जारी है। यह सीधा–सीधा राष्ट्र की अखण्डता को चुनौती बना हुआ है।

बुन्देलखण्ड आन्दोलन

स्वतंत्रता के बाद से ही चल रहा है। इसमें मध्यप्रदेश के 16 तथा उत्तरप्रदेश के 5 जिले प्रस्तावित है। बुन्देलखण्ड मुक्ति मोर्चा पृथक राज्य की माँग कर रहा है। अनेक बार केन्द्र सरकार को पृथक राज्य का ज्ञापन दिया जा चुका है। 1996 से इस आन्दोलन ने अधिक जोर पकड़ लिया है इस क्षेत्र के विकास का प्रयास पृथक राज्य बनने के बाद ही हो सकता है। ग्रामीण जनता को जागृत किया जा रहा है, अनेक बार जुलूस तथा चक्का जाम कर चुके है।

क्षेत्रवाद एवं भूमि पुत्र की धारणा

किसी राज्य अथवा क्षेत्र के निवासियों द्वारा उस राज्य में बसने एवं रोजगार प्राप्त करने आदि के सम्बन्ध में विशेष संरक्षण की माँग की जाए। इस माँग के साथ यह बात जुडी होती है कि जब तक इस राज्य या क्षेत्र के मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त न हो जाए तब तक इस राज्य या क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र में 60 के दशक से ही शिवसेना द्वारा यह बात उठाई जाती रही है। असम में बोडोंलैण्ड निवासियों में भी भूमिपुत्र की पहचान को लेकर समय–समय पर हिंसा होती रही है। जुलाई–अगस्त 2012 में हिसा इसी का परिणाम थी। आजाद कश्मीर की माँग भी इसी से जुडी है। नक्सलवादी समस्या भी मूलतः भूमिपुत्र की पहचान व उनके कल्याण से जुडी हुई है। देश के अनेक क्षेत्रों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के साथ र्दुव्यवहार देखने को मिलते है। कई बार उनके मूल दस्तावेजों को छीनना, फाड़ने की घटना होती रहती है।

राजस्थान में दक्षिण पूर्वी जिले अपने विकास को लेकर असंतोष व्यक्त करते हैं, दूसरी ओर उत्तर–पूर्वी जिलों में भी विकास को लेकर असंतोष झलकता है। पश्चिमी राजस्थान भी विकास तथा रोजगार बढ़ाने के लिए जोर लगाता रहता है। क्षेत्रीयता की ज्वाला यहाँ भी ना फैल जाये इसके लिए संतुलित विकास बनाये रखने का ध्यान रखना ही महत्वपूर्ण बात है।

आर्थिक–सामाजिक विकास एवं रोजगार की समस्या को लेकर असंतोष की भावना पैदा होती है। स्थानीय महात्वाकांक्षी नेता एवं क्षेत्रीय दल जन सामान्य को जाति, धर्म, संस्कृति एवं क्षेत्रीयता के आधार पर संगठित करते है तथा आन्दोलन का रूप देते है और पृथक राज्य की माँग करने लगते है। आन्दोलन कभी–कभी हिंसक रूप धारण कर लेता है। राष्ट्रीय एकता एवं राजनीति के लिए नये–नये प्रकार की समस्या पैदा हो जाती है। महत्वाकांक्षी लोग क्षेत्रीय दलों का निर्माण करते है। क्षेत्रीय दल अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए क्षेत्रीयता, जातीवाद को और अधिक बढ़ावा देते है। क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े हुए क्षेत्रीय दल वर्तमान में गठबन्धन सरकार एवं अस्थिर व कमजोर सरकार के कारण बने हुए है।

क्षेत्रीयवाद रोकने के उपाय

1. सरकार द्वारा विकास कार्यक्रमों का निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए कि संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल सके।
2. पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
3. विशिष्ट जातीय समुदाय को अपनी विशिष्ट संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखने के लिए सरकार का सकारात्मक सहयोग मिलना चाहिए।
4. भाषायी विवादों का अविलम्ब सार्थक समाधान होना चाहिए।
5. केन्द्रीय मंत्रीमण्डल में सभी क्षेत्रों का संतुलित प्रतिनिधित्व हो ताकि क्षेत्रीय पक्षपातपूर्ण नीतियों का खण्डन हो सके।
6. प्रचार माध्यमों और शिक्षा द्वारा क्षेत्रीयतावाद की संकीर्ण भावनाओं के विरूद्ध वातावरण तैयार किया जाये।
7. सभी क्षेत्रों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान आर्थिक सुविधायें प्रदान की जायें ताकि अनावश्यक ईर्ष्या और असंतोष न होवे।

8. पारदर्शिता लाने हेतु व समस्या समझने व समझाने के लिए संचार साधनों को दूर दराज के क्षेत्रों में फैलाया जायें।

निष्कर्ष

क्षेत्रीयतावाद यद्यपि राष्ट्रीय एकीकरण में वाधक प्रतीत होता है किन्तु पृथक राज्यों की माँग उचित भी है क्योंकि इससे प्रत्येक क्षेत्र विशेष अपना आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास कर अपने जीवन स्तर को ऊँचा कर सकेगा। राष्ट्र के सर्वागीण विकास के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक सत्ता तथा आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाए तथा संतुलित विकास किया जाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *डॉ. मोदी, दीपक कुमार, भारत में क्षेत्रीय आन्दोलन, अमन प्रकाशन, कटरा नमक मण्डी, सागर, मध्यप्रदेश।*
2. *डॉ. जैन एवं जैन, ''भारतीय राजनीति के नये आयाम'', कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।*
3. *डॉ. जैन पुखराज, ''भारतीय राज व्यवस्था'', साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा।*
4. *डॉ. खण्डेला, मानचंद, ''भारतीय राजनीति का बदलता परिदृश्य'', आविस्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीव्यूटर्स, चौडा रास्ता, जयपुर।*
5. *डॉ. खण्डेला, वर्तमान भारतीय राजनीति, अरिहन्त पब्लिसिंग हाउस, जयपुर।*
6. *डॉ. खण्डेला, भारतीय राजनीति का भविष्य, अरिहन्त पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।*
7. *डॉ. चतुर्वेदी, गीता, भारतीय राजनीति व्यवस्था, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।*
8. *डॉ. यादव एवं शर्मा, भारतीय राजनीति ज्वलंत प्रश्न, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली वि.वि., दिल्ली।*
9. *डॉ. त्रिवेदी एवं राय, भारतीय सरकार एवं राजनीति, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।*
10. *इण्डिया टूडे के विभिन्न अंक।*
11. *समसामयिकी, क्रॉनीकल बुक्स, नई दिल्ली।*
12. *समसामयिकी वार्षिकी, प्रतियोगिता दर्पण।*
13. *आउटलुक के विभिन्न अंक।*